

**कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद**  
(आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन सं०- 01/आ०/2019

**जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति चयन हेतु आम सूचना**

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 963 दिनांक 20.01.2016 तथा ज्ञापांक 2342 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 से प्राप्त आदेशानुसार/निर्देशानुसार जहानाबाद जिला अन्तर्गत जहानाबाद, अनुमंडल की प्रखण्डवार जन वितरण प्रणाली दुकानों को भरने हेतु सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रखण्डवार/पंचायतवार जन वितरण प्रणाली दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों अनुमंडल जहानाबाद से संबंधित प्रखण्ड कार्यालयों के सूचनापट्ट पर एवं जहानाबाद जिला के वेबसाईट [www.jehanabad.bih.nic.in](http://www.jehanabad.bih.nic.in) पर देखी जा सकती हैं।

पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 25.01.2019 तक निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के पते पर स्वीकार किये जाएंगे। लिफाफा के उपर “विज्ञापन संख्या एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र” लिखा होना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रखण्डवार/कोटिवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार है

प्रखंड का नाम	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	अनुसूचित जाति	अनु. जाति महिला	अनु. जन जाति	अनु. जन जाति महिला	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रतनीफरीदपुर	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	00	02
जहानाबाद	00	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	02
नगर परिषद्, जहानाबाद	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	01
काको	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	01
मखदुमपुर	00	00	02	00	00	00	00	00	01	00	00	03
नगर पंचायत, मखदुमपुर	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
मोदनगंज	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	01	02
घोषी	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	01
हुलासगंज	00	00	01	00	02	00	00	00	01	00	00	04
कुल :-	00	00	04	00	04	03	00	00	03	01	01	16

विस्तृत जानकारी के लिए [www.jehanabad.bih.nic.in](http://www.jehanabad.bih.nic.in) पर सम्पर्क करें।

**कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।**  
(आपूर्ति शाखा)  
विज्ञापन सं०- 01/आ०/2019

**जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति चयन हेतु आम सूचना**

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 963 दिनांक 20.01.2016 ज्ञापांक 2342 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 से प्राप्त आदेशानुसार/निर्देशानुसार जहानाबाद जिला अन्तर्गत जहानाबाद, अनुमंडल की प्रखण्डवार जन वितरण प्रणाली दुकानों को भरने हेतु सुयोग्य व्यक्तियों/ संस्थाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**रिक्ति की विवरणी**

क्र०	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	का	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य एवं लागू किया जाने वाला रोस्टर
1	2	3	4		5	6
1	रतनीफरीदपुर	सोहरैया	अवगिल्ला		110	अनुसूचित जाति महिला
2	रतनीफरीदपुर	नौआवाँ	सेलारपुर		112	पिछड़ा वर्ग महिला
3	जहानाबाद	पण्डुई	सुलतानी		124	अनुसूचित जाति महिला
4	जहानाबाद	गोनवाँ	वसंतपुर		125	बैंक लॉग के कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
5	न० प० जहानाबाद	वार्ड नं० 8	वार्ड नं० 8		130	पिछड़ा वर्ग
6	काको	पूर्वी काको	अलौयाचक		141	बैंक लॉग के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित
7	मखदुमपुर	मंझोस	भीमपुरा		146	पिछड़ा वर्ग
8	मखदुमपुर	कचनावाँ	दानुविगहा		147	बैंक लॉग के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित
9	मखदुमपुर	डकरा	दौलतपुर		153	बैंक लॉग के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित
10	मोदनगंज	नईमा	अरहित		156	अनुसूचित जाति
11	मोदनगंज	गंधार	धामापुर		159	बैंक लॉग के कारण पिछड़े वर्गों की महिलाएँ के लिए आरक्षित
12	घोषी	घोषी	मिराविगहा		162	अनुसूचित जाति महिला
13	हुलासगंज	खुदौरी	खुदौरी		168	अनुसूचित जाति
14	हुलासगंज	सुरजपुर	हुलासगंज		170	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
15	हुलासगंज	दावथु	मुसौली		172	पिछड़ा वर्ग
16	हुलासगंज	केउर	कसीआवाँ		174	अनुसूचित जाति

**(क) पात्रता एवं शर्तें :-**

1. आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. दुकान आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्थाओं को (अनुकम्पा मामले को छोड़कर) प्राथमिकता दी जाएगी :-

(क) स्वयं सहायता समूह

(ख) महिलाओं की सहयोग समितियों

(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों

(घ) शिक्षित बेरोजगार

(ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ
- एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
  - मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्य काल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।
  - आटा-चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
  - अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
  - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
  - सरकार के लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
5. वैसी महिलाओं की सहयोग समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों को ही अनुज्ञप्ति दी जायेगी, जिनके पास स्वयं का या किराये का गोदाम उपलब्ध हो एवं उनके पास कार्यशील पूँजी के रूप में कम से कम 100000 (एक लाख) रूपया उपलब्ध हो।
6. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

**(ख) आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :-**

- विहित प्रपत्र :- अनुसूची-1 (व्यक्ति विशेष के लिए), अनुसूची-2 (स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों को सहयोग समितियों के लिए) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। (अनुलग्नक-अनुसूची-1 एवं 2)  
विहित प्रपत्र जहानाबाद जिला के वेबसाईट [www.jehanabad.bih.nic.in](http://www.jehanabad.bih.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं।
- आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है।
- अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

**(ग) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले वांछित कागजात/ प्रमाण पत्र**

**(1) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए :-**

- आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन **तीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो**, जिसमें से एक सत्यापित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो के पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत **आवासीय प्रमाण पत्र** की सत्यापित छायाप्रति।
- दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है, तो उसका खाता, खेसरा, एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति। अगर किराया का है, तो किरायानामा (Deed of Lease) से संबंधित एकरारनामा (Agreement) की सत्यापित छायाप्रति।

**(2) उपरोक्त कागजात/प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के आवेदनों में निम्नांकित स्वप्रमाणित कागजात/प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा**

**(क) व्यक्ति विशेष श्रेणी के आवेदनों के लिए :-**

यदि आवेदक आरक्षण श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति

(ख) स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियों एवं पूर्व सैनिकों की सहयोग समिति के लिए :-

- i. सहकारी समितियों/पैक्सों के निर्वाचन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
- ii. सहकारी समितियों/पैक्सों के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति

(3) स्वयं सहायता समूह के लिए :-

- i. न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो
- ii. निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति
- iii. स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
- iv. स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति

(4) आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :-

पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 25.01.2019 तक निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा **अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद** के पते पर स्वीकार किये जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी,  
जहानाबाद

## अनुसूची-1

**बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)**

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम  
एवं कार्यालय का पत्ता

## 1. आवेदक की विषष्टियाँ –

- (क) नाम :-  
(ख) पिता/पति का नाम :-  
(ग) शैक्षणिक योग्यता :-  
(घ) उम्र :-  
(ङ) स्थायी तथा वर्तमानपत्ता :-  
(फोन नं०/मोबाईल नं०/ई-मेल के साथ)  
(च) कम्प्यूटरज्ञान :-

आवेदक का  
अभिप्रमाणित  
फोटो

## 2. उचित मूल्य की दुकान का वितरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

व्यवसाय स्थल का विवरण

- (क) मकान/दुकान संख्या :-  
(ख) होल्लिंग नं० :-  
(ग) क्षेत्रफल :-  
(घ) खाता नं०..... खेसरा नं० :-  
(ङ) चौहद्दी :-  
(च) मुहल्ला/बार्ड नं० :-  
(छ) ग्राम/शहर :-  
(ज) थाना :-  
(झ) जिला :-

3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।  
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।  
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें।  
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?  
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?  
8. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?  
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।  
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।  
11. क्या आवेदक के पास आटा-चक्की है ?  
12. क्या आवेदक किसी आटा-चक्की मालिक का निकट रिश्दार है ?  
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद एवं नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?  
मैं....., एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विषष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथविश्वासमें सही हैं एवं उन में कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।  
“ बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों को मैंने सावधानी पूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :  
दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

## बिहार गजट (असाधारण), 14 मार्च 2016

### अनुसूची-2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र (स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए) अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ..... एवं कार्यालय का पता :-

आवेदक का  
अभिप्रमाणित फोटो

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों/स्वयं सहायता समूह की विषिष्टियाँ
  - (क) नाम एवं प्रकार :-
  - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :-  
(स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
  - (ग) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :-
  - (घ) कार्याला का पता :-
  - (ङ) प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :-  
(निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
  - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित सूचनाएँ :-
  - (क) नाम :-
  - (ख) पिता/पति का नाम :-
  - (ग) स्थायी पता :-
  - (घ) पत्राचार का पता :-
  - (ङ) फोन नं०/मोबाईल नं० :-
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. व्यवसाय स्थल का विवरण :-
  - (क) मकान/दुकान संख्या :-
  - (ख) होल्डिंग नं० :-
  - (ग) क्षेत्रफल :-
  - (घ) खाता नं० ....., खेसरा नं० :-

(ड़) चौहद्दी :-

(च) मुहल्ला/वार्ड नं० :-

(छ) ग्राम/षहर :-

(ज) थाना :-

(झ) जिला :-

(ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :-

6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाधित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्नक करें।

7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों/स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोवार की अनुज्ञप्ति है तो इसका विवरण दे :-

8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूँजी का विवरण :-

(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं..... एतद् द्वारा ..... की तरफ से इसकी

प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक ..... को पारित प्रस्ताव संख्या .....

..... द्वारा प्राधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विषिष्टियों मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विष्वास में सहीं है। एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं, यह भी घोषणा करना हूँ कि ..... कि प्रबंध समिति में "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समितियों/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम